

राइट-टू-सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने ली समीक्षा बैठक

'सभी सेवाएं समयबद्ध सुनिश्चित की जाएं'

- विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश
- लापरवाही पर अधिकारी को भरना होगा जुर्माना

कैथल (सच कहें न्यूज)।

राइट-टू-सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि आमजन के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाईन व्यवस्था से समयबद्ध देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को जुर्माना लगाया जाएगा, इतना ही नहीं तीन बार जुर्माना होने पर संबंधित



कैथल में उपस्थित टी सी गुप्ता एवं मौके पर उपस्थित अधिकारीगण।

व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है। राइट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता कोयल कॉम्प्लैक्स में सेवा के अधिकार अधिनियम विषय पर समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को अटल सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ

दिया जाता है। सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आमजन के कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अटल सेवा केंद्र में सेवा लेने के लिए निर्धारित फीस 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक तय है, कोई भी अटल सेवा केंद्र संचालक निर्धारित फीस से ज्यादा

लेता हुआ पाया गया तो उस केंद्र का तुरंत लाइसेंस रद्द किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करें और उसके बैनर बनाकर भी कार्यालयों के बाहर चस्पा करें।

उन्होंने कहा कि आमजन को 546 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इन सभी

सेवाओं को देने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सभी विभाग समय सीमा में सेवाओं का लाभ दें, ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि समय पर सेवा मुहैया करवाने पर जिला का स्कोर बनता है, इस समय सरल डैश बोर्ड पर जिला कैथल 9.5 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है, इसमें सुधार लाकर प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लांच किया है, जोकि सेवाएं देने में देरी होने पर स्वयं ही अपीलवीय अधिकारियों के पास चली जाएगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

समीक्षा बैठक में टीसी गुप्ता ने कृषि, वीओसीडब्ल्यू, रोजगार, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, श्रम, एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड, स्वास्थ्य, उद्यान, पुलिस, जन स्वास्थ्य, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन लोकल बॉडी, बिजली, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की वार्षिक से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं नहीं देने की शिकायत आरटीएसमी-एचआरवाई एट दी रेट जीओवी डॉट इन दे सकते हैं। बैठक में मौजूद परमिनेट पर्सन राजू कौशिक, वार एमॉसिपेशन के प्रधान नफे सिंह बेरवाल, राजेंद्र शर्मा, गंगा बंसल आदि ने भी सुझाव दिए।

इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, आरटीएस कमिशन की सचिव मिनाक्षी, एसडीएम संजय कुमार, नवीन कुमार, सीटीएम अमित कुमार के साथ-साथ सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।